ए.

इन आरईःमौतों को प्रभावित करने के साथ-साथ संभावित हस्तक्षेप स्थितियों को ध्यान में रखते हुए फ्रेमिंग दिशानिर्देश

(सुओ मोटू रिट याचिका (सी. आर. एल) 2022 का नंबर 1) सितंबर 19,2022

बी.

[उदय उमेश ललित**,** मुख्य न्यायाधीश **,** एस**.** रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।235, 309 – क्या, कानून के तहत मृत्युन्यायालय के अपराध के लिए दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद, अदालत सजा के मुद्दे पर एक अलग सुनवाई करने के लिए बाध्य है-आयोजितःसजा के मुद्दे पर अभियुक्त/दोषी को औपचारिक सुनवाई के विपरीत वास्तविक और सार्थक अवसर देने के सवाल पर एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मामले में स्पष्टता होना आवश्यक है-मामला पांच माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है।

सी.

डी.

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** दो विचार हैं**,** एक विचार यह है कि दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद अभियुक्त को सजा के सवाल पर एक अलग सुनवाई की जानी चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सुनवाई का उद्देश्य कम करने वाली परिस्थितियों को दिखाने के लिए सामग्री रखने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए**-**और अभियोजन पक्ष के लिए**,** बिगड़ती परिस्थितियाँ और "पर्याप्त समय"।

ई.

सजा के सवाल पर अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।एक अन्य

विचार यह है कि एक ही दिन की सजा अनिवार्य रूप से सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **235 (2)** के खिलाफ नहीं है। मामलों की विपरीत रेखा इस आधार पर आधारित है कि न्यायालय एक अलग सुनवाई के लिए स्थगित कर सकती है**,** लेकिन इसकी अनुपस्थिति अपने आप में सजा को दूषित नहीं करेगी।**[**पारस **11** और **15] [558-**बी**-**सी**; 560-**ई**]**

एफ.

2. इन सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र यह स्पष्ट स्वीकृति है कि अभियुक्त को सजा के प्रश्न के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने के अवसर के साथ सार्थक**,** वास्तविक और प्रभावी सुनवाई की जानी चाहिए।जो बात स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है**,** वह है इस बारे में विचार और चिंतन कि इसके लिए कितने समय की आवश्यकता हो सकती है।ऐसे मामलों में जहां यह महसूस किया गया था कि वास्तविक और प्रभावी सुनवाई नहीं दी गई होगी **(**के कारण

जी.

एच.

543 ए.

544 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

उसी दिन सजा सुनाते हुए**),** इस न्यायालय का समाधान हुआ कि अभियुक्त को सामग्री प्रस्तुत करने का मौका देकर और इस प्रकार धारा **235 (2)** के अधिदेश को पूरा करके**,** अपीलीय **(**या समीक्षा चरण**)** में दोष को दूर किया गया था।**[**पैरा **20] [563-**सी**-**डी**]**

3. इस विषय पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों के दो समूहों द्वारा विचारों का स्पष्ट टकराव मौजूद है।नोटिस के रूप में**,** बचन सिंह मामले में इस न्यायालय ने **48** वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर भरोसा करते हुए**,** दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में**,** एक अलग सुनवाई द्वारा एक दोषी को दी गई निष्पक्षता को ध्यान में रखा था।यह भी एक तथ्य है कि उन सभी मामलों में जहां मृत्युदंड का अधिरोपण सजा का एक विकल्प है**,** गंभीर परिस्थितियां हमेशा रिकॉर्ड में होंगी**,** और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का हिस्सा होंगी**,** जिससे दोषसिद्धि होती है**,** जबकि अभियुक्त से शायद ही कम करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर रखने की उम्मीद की जा सकती है**,** क्योंकि ऐसा करने का चरण दोषसिद्धि के बाद है।यह दोषी को एक निराशाजनक नुकसान में डालता है**,** जो उसके खिलाफ तराजू को भारी झुकाता है।इस न्यायालय की राय है कि सजा के मुद्दे पर आरोपी/दोषी को औपचारिक सुनवाई के बजाय वास्तविक और सार्थक अवसर देने के सवाल पर एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मामले में स्पष्टता होना आवश्यक है। **[**पैरा **23] [564-**डी**-**जी**]** मिठू बनाम पंजाब राज्य **(1983) 2** एस**.** सी**.** सी**. 277: [1983] (2)** एस**.** सी**.** आर**. 690-**अनुसरण किया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 7 एससीसी 1:[2019]

6 एससीआर **1;** अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य **(1989) 3** एससीसी **5:[1989] 2** एस**.** सी**.** आर**. 498;** अंगुस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य **(1989) 3** एस**.** सी**.** सी**. 33;** बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1983) 1** एस**.** सी**.** आर**. 145;** भगवान बनाम तमिलनाडु राज्य **(1989)**

एफ.

मध्य प्रदेश ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 527; दगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य (1977) 3 एस. सी. सी. 68:[1977] 3 एससीआर 636;

दत्तराया बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2020) 14** एस**.** सी**.** सी**. 290:[2019] 11** एस**.** सी**.** आर**. 295;** मलकियत सिंह बनाम पंजाब राज्य

जी.

(1991) 4 एससीसी 341:[1991] 2 एससीआर 256; मनोज

सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2020) 4** एस**.** सी**.** सी**. 451:[2020] 4** एस**.** सी**.** आर**. 1;** मनोज प्रताप सिंह बनाम राज्य

राजस्थान 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 768; मुनियप्पन बनाम

एच.

545

इन आरईःफ्रेमिंग दिशानिर्देश संभावित हस्तक्षेप स्थितियों को ध्यान में रखते हुए माना जाएगा जबकि मृत्यु को प्रभावित करने के लिए ए

ए.

तमिलनाडु राज्य (1981) 3 एससीसी 11:[1981]

3 एससीआर **270;** रामदेव चौहान बनाम असम राज्य **(2001)**

5 एससीसी 714:[2001] 3 एससीआर 669; सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190:[1977] 1 एससीआर 229; तरलोक सिंह बनाम पंजाब राज्य (1977) 3 एससीसी 218:[1977] 3 एस. सी. आर. 711-संदर्भित।

बी.

संदर्भित निर्णय

[1983] 1 एससीआर **145**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

[1977] 1 एससीआर **229**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[1981] 3 एससीआर **270**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

सी.

[1983] 2 एससीआर **690**

पीछा किया।

पैरा **9**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1989] 2 एससीआर **498**

[1991] 2 एससीआर **256**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2019] 11 एससीआर **295**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

डी.

[1977] 3 एससीआर **636**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[1977] 3 एससीआर **711**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2001] 3 एससीआर **669**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

ई.

[2019] 6 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

[2020] 4 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः सुओ मोटो रिट याचिका (सी. आर. एल) 2022 का नंबर 1।

न्यायालय प्रस्ताव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत,

एफ.

के. वेणुगोपाल, ए. जी., सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., सिद्धार्थ दवे, सीनियर एड. (ए. सी.), सिद्धार्थ अग्रवाल, सीनियर एड., के. परमेश्वर, (ए. सी.), अंकुर तलवार, सुश्री सुहासिनी सेन, सुश्री चिनमयी चंद्र, सिद्धांत कोहली, शिखिल सूरी, सुश्री जेमतीबेन ए. ओ., विधि ठाकर, प्रश्तुत दलवी, सुश्री आरुषि सिंह, माधव चितले, सुश्री ए. श्रीगुरुप्रीया, सुश्री अंकिता चौधरी, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सुश्री मिर्जा कायेश बेग, आस्तिक गुप्ता, प्रखर एस.इरशाद हनीफ, रिजवान अहमद, मुजाहिद अहमद, आरिफ अली, मोहम्मद।असलम, मोहम्मद।परवेज, सुश्री सौजन्या शंकरन, विश्वजीत

जी.

एच.

सिंह भाटी, सुश्री जैस्मीन चौहान, सुश्री श्रेया रस्तोगी, सुश्री प्रतीक्षा बसरकर, सुश्री शिवानी मिश्रा, भावेश सेठ, गौरव अग्रवाल, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

बी.

1. यह आदेश विभिन्न निर्णयों के बीच मतभेद और दृष्टिकोण के कारण आवश्यक है, इस सवाल पर कि क्या कानून के तहत मृत्युन्यायालय के अपराध के लिए दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद, अदालत सजा के मुद्दे पर एक अलग सुनवाई करने के लिए बाध्य है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 (इसके बाद, "दंड प्रक्रिया संहिता" या "संहिता") इस प्रकार हैः

सी.

“235. दोषमुक्त या दोषसिद्धि का निर्णय।— (1) सुनने के बाद

दलीलें और कानून के बिंदु (यदि कोई हों), तो न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा।(2) यदि अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनेगा, और फिर उसे कानून के अनुसार सजा देगा।”

डी.

धारा 235, जैसा कि आज क़ानून में मौजूद है, पूर्ववर्ती संहिता (1898 की) की धारा 309 थी।इसे भारत के विधि आयोग की 48 वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कारण पेश किया गया था।

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 के तहत कुछ प्रश्नों पर

(दिनांक जुलाई 1972)।इसके अतिरिक्त, सी. आर. पी. सी. की धारा 309 भी प्रासंगिक है। वह इस प्रकार हैः

“309. कार्यवाहियों को स्थगित या स्थगित करने की शक्ति।

एफ.

(1) प्रत्येक जांच या मुकदमे में, कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से आयोजित की जाएगी, और विशेष रूप से, जब गवाहों की परीक्षा एक बार शुरू हो जाती है, तो यह दिन-प्रतिदिन तब तक

जारी रहेगी जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती है, जब तक कि न्यायालय को कारण दर्ज करने के लिए अगले दिन से आगे का स्थगन आवश्यक न लगे।

जी.

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने या मुकदमा शुरू करने के बाद, किसी जांच या ए के प्रारंभ को स्थगित करना या स्थगित करना आवश्यक या उचित समझता है।

एच.

547

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा जबकि मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

विचारण, समय-समय पर, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी शर्तों पर स्थगित या स्थगित कर सकता है जो वह उचित समझता है, ऐसे समय के लिए जो वह उचित समझता है, और यदि अभिरक्षा में है तो अभियुक्त को वारंट द्वारा रिमांड कर सकता हैःबशर्ते कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के तहत एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं भेजेगाः

बी.

बशर्ते कि जब गवाह उपस्थित हों, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों को छोड़कर, उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या स्थगन नहीं दिया जाएगाः1

बशर्ते कि केवल अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

सी.

स्पष्टीकरण 1.- यदि यह संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त सबूत प्राप्त किए गए हैं कि आरोपी ने कोई अपराध किया है, और यह संभावना प्रतीत होती है कि रिमांड द्वारा और सबूत प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह रिमांड के लिए एक उचित कारण है।स्पष्टीकरण 2.- जिन शर्तों पर स्थगन या स्थगन दिया जा सकता है, उनमें उचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा लागत का भुगतान शामिल है।”3. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 में इस न्यायालय ने अपने बहुमत में

डी.

ई.

निर्णय ने मौत की सजा की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा कि इसे "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों में लगाया जा सकता है।न्यायालय सजा के सवाल पर एक अलग सुनवाई की

सुरक्षा के प्रति सचेत थी, और एक मूल्यवान अधिकार के रूप में इस तरह की सुरक्षा को स्पष्ट किया, जो एक दोषी को यह आग्रह करने के लिए आश्वस्त करता है कि उसके मामले की परिस्थितियों में, मौत की अत्यधिक सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए।बचन सिंह के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

एफ.

“151. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 (3), 1898 की संहिता में अंतर्निहित विधायी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, जो 1 अप्रैल, 1974 से तुरंत पहले लागू थी, जिसके अनुसार हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा और दंड संहिता के तहत कुछ अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए, दोनों सामान्य सजाएं थीं।अब इस बदली हुई विधायी नीति के अनुसार जो चेहरे पर पेटेंट है

जी.

1 1983 (1) एससीआर 145

एच.

548 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

धारा 354 (3) के तहत, दंड संहिता के तहत हत्या और छह अन्य मृत्युदंड के अपराधों के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास (या वर्षों की अवधि के लिए कारावास) है और मृत्युदंड एक अपवाद है।संसद की संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस परिवर्तन का उद्देश्य और कारण इस प्रकार बताया हैः

बी.

‘मृत्युदंड विधि की चरम सजा है और यह उचित है कि जब कोई न्यायालय उस सजा को ऐसे मामले में देता है जहां आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा भी उपलब्ध है, तो उसे सजा के समर्थन में विशेष कारण देने चाहिए।

सी.

तदनुसार, वर्तमान संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3) प्रदान करती हैः

“जब दोषसिद्धि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या वर्षों की अवधि के कारावास के विकल्प के साथ दंडनीय अपराध के लिए होती है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण और मृत्युदंड की सजा के मामले में, ऐसी सजा के लिए विशेष कारण बताए जाएंगे।”

डी.

152. इस संदर्भ में, हम 1973 की संहिता की धारा 235 (2) पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यह न केवल स्पष्ट करता है कि जगमोहन के मामले में निर्णय के अनुसार संहिता की योजना में क्या निहित था, बल्कि दो सुनवाई का प्रावधान करके मुकदमे को भी विभाजित करता है, एक पूर्व-दोषसिद्धि चरण में और दूसरा पूर्व-सजा चरण में।इसकी आवश्यकता हैः"यदि अभियुक्त दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधान के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनेगा, और फिर उसे कानून के अनुसार सजा देगा।"

ई.

एफ.

विधि आयोग ने अपनी 48 वीं रिपोर्ट में सजा देने की प्रक्रिया में इस कमी की ओर इशारा किया थाः

"45. अब यह तेजी से स्वीकार किया जा रहा है कि एक तर्कसंगत और सुसंगत सजा नीति के लिए वर्तमान प्रणाली में कई कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।ऐसी ही एक कमी अपराधी की विशेषताओं और पृष्ठभूमि के बारे में व्यापक जानकारी की कमी है।

जी.

एच.

549

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा और साथ ही मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

सजा सुनाने के उद्देश्यः- जिस जानकारी पर सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जानी है, उसके अभाव में वे स्वयं और अधिक अस्पष्ट हो जाते हैं।जनता के साथ-साथ स्वयं अदालतें भी इस संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण के बारे में अंधेरे में हैं।

हमारा विचार है कि सजा सुनाने से संबंधित परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य लेने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों को इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

बी.

नई संहिता की धारा 235 (2) को लागू करके संसद ने विधि आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।यद्यपि धारा 235 की उप-धारा (2) में साक्ष्य के रूप में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है और केवल सजा के रूप में अभियुक्त की सुनवाई के लिए प्रावधान है, फिर भी इस प्रावधान में यह निहित है कि यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त या दोनों द्वारा उस ओर से

अनुरोध किया जाता है, तो न्यायाधीश को संबंधित पक्ष या पक्षों को सजा के प्रश्न से संबंधित विभिन्न कारकों से संबंधित साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए।“बेशक, "जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2386 में इंगित किया गया था", न्यायालय द्वारा यह ध्यान रखना होगा कि सजा के प्रश्न पर इस सुनवाई को कार्यवाही को अनुचित रूप से आगे बढ़ाने के साधन में नहीं बदला जाए।उचित और उचित सुनवाई के दावे को कार्यवाही के त्वरित निपटान की आवश्यकता के साथ सुसंगत बनाना होगा।”153. हम धारा 432,433 और 433 ए पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्या भारत में वर्तमान में प्रशासित आजीवन कारावास को हत्या के अत्यंत जघन्य मामलों में भी मृत्युदंड का पर्याप्त विकल्प माना जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

154. 1973 की संहिता की धारा 432 और 433 1898 की संहिता की धारा 401 और 402 को आवश्यक संशोधनों के साथ जारी रखती है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अनुरूप लाते हैं।धारा 432 "उपयुक्त सरकार" को (उस धारा की उप-धारा (7) में परिभाषित) सजा को निलंबित करने या हटाने की शक्ति प्रदान करती है।धारा 433 सजा पाए व्यक्ति की सहमति के बिना सजा को कम करने की उचित सरकारी शक्ति प्रदान करती है।खंड के तहत

जी.

एच.

(क) भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदत्त किसी अन्य दंड के लिए उपयुक्त सरकार इस धारा के तहत मृत्युदंड को कम कर सकती है।

155. 18 दिसंबर, 1978 से प्रभावी, सी. आर. पी. सी. (संशोधन) अधिनियम, 1978 में नई धारा 433 ए जोड़ी गई जो इस प्रकार हैः

बी.

“433A. कुछ मामलों में छूट या परिवर्तन की शक्ति पर प्रतिबंध।- धारा 432 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मृत्यु कानून द्वारा प्रदान किए गए दंडों में

से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाई गई मृत्यु की सजा को धारा 433 के तहत आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह साल का कारावास नहीं बिताया हो।"

सी.

156. यह याद किया जा सकता है कि जगमोहन में इस न्यायालय ने कहा था कि व्यवहार में आजीवन कारावास 12 साल की जेल के बराबर है।अब, धारा 433 ए धारा 432 और 433 के तहत उपयुक्त सरकार को दी गई छूट और परिवर्तन की शक्ति को प्रतिबंधित करती है, ताकि एक व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है या जिसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है, उसे कम से कम 14 साल के लिए वास्तविक कारावास की सजा काटनी होगी।

डी.

ई.

157. हम अगली बार मौजूदा संहिता के अन्य प्रावधानों (निरस्त संहिता की धारा 374,375,376 और 377 के अनुरूप) पर ध्यान दे सकते हैं जो मृत्युदंड से संबंधित हैं। संहिता की धारा 366 (i) उच्च न्यायालय को कार्यवाही प्रस्तुत करने के लिए मृत्यु की सजा पारित करने वाले न्यायालय से अपेक्षा करती है, और आगे यह आदेश देती है कि इस तरह की सजा को तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।मृत्युदंड की पुष्टि के लिए इस तरह के संदर्भ पर, उच्च न्यायालय को धारा 367 और 368 के अनुसार आगे बढ़ना आवश्यक है।धारा 367 उच्च न्यायालय को आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है।धारा 368 उच्च न्यायालय को मृत्यु की सजा की पुष्टि करने या कानून द्वारा वारंट की गई किसी अन्य सजा को पारित करने; या दोषसिद्धि को रद्द करने या बदलने या नए मुकदमे का आदेश देने या ए को बरी करने का अधिकार देती है।

एफ.

जी.

एच.

551

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा जबकि मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

अभियुक्त।धारा 369 में आदेश दिया गया है कि इस प्रकार प्रस्तुत किए गए प्रत्येक मामले में, सजा की पुष्टि, या उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई नई सजा या आदेश, जब ऐसे न्यायालय में

दो या दो से अधिक न्यायाधीश होते हैं, तो उनमें से कम से कम दो द्वारा किया जाएगा, पारित किया जाएगा और हस्ताक्षर किए जाएंगे।धारा 370 में प्रावधान है कि जहां ऐसे किसी मामले की सुनवाई न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष की जाती है और ऐसे न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित होती है, तो मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा जाएगा।158. उच्च न्यायालय में पुष्टिकरण कार्यवाही से संबंधित धाराओं के इस फासिकुलस में, विधानमंडल ने मृत्युदंड के मामलों में विषय के जीवन और स्वतंत्रता के मूल्यवान सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं।ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि किसी बड़े मामले में, यदि दोषी व्यक्ति का जीवन दांव पर है, तो अभियुक्त के अपराध के रूप में बेगुनाही पर असर डालने वाली पूरी साक्ष्य सामग्री और सजा के सवाल की उच्चतम न्यायालय द्वारा अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।”

बी.

सी.

डी.

4. इस न्यायालय ने तब विभिन्न दृष्टिकोणों से इस मुद्दे पर विचार किया और आगे इस प्रकार टिप्पणी कीः

“163. ...अब, धारा 235 (2) एक द्विभाजित मुकदमे का प्रावधान करती है और विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्ति को सजा से पहले सुनवाई का अधिकार देती है, जिस स्तर पर, वह रिकॉर्ड सामग्री या साक्ष्य ला सकता है, जो जांच के तहत विशेष अपराध से सख्ती से प्रासंगिक या संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी, धारा 354 (3) में रेखांकित नीति के अनुरूप सजा के चयन पर असर पड़ता है।धारा 354 (3) सहपठित धारा 235 (2) से स्पष्ट वर्तमान विधायी नीति यह है कि दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक सहित विभिन्न अपराधों के लिए सजा की डिग्री तय करने या सजा का चयन करने में, न्यायालय को अपने विचार को "मुख्य रूप से" या केवल विशेष अपराध से जुड़ी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपराधी की परिस्थितियों पर भी उचित विचार करना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

***

165. धारा 354 (3) और धारा 235 (2) में निरूपित विधायी नीति के अनुरूप, जगमोहन में प्रस्ताव (iv) (a) और (v) (b) को पुनर्गठित करना होगा और नीचे दिए गए अनुसार कहा जा सकता हैः

एच.

552 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

(क) सामान्य नियम यह है कि हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।न्यायालय उस नियम से अलग हो सकती है और मौत की सजा तभी दे सकती है जब ऐसा करने के लिए विशेष कारण हों।मृत्युदंड देने से पहले ऐसे कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

बी.

(ख) न्यायालय संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दी जाने वाली सजा के सवाल पर विचार करते समय, अदालत को अपराध से संबंधित हर प्रासंगिक परिस्थिति के साथ-साथ अपराधी को भी ध्यान में रखना चाहिए।यदि न्यायालय को लगता है, लेकिन अन्यथा नहीं, कि अपराध एक असाधारण रूप से अपमानजनक और जघन्य चरित्र का है और इसकी योजना और इसके निष्पादन के तरीके के कारण, बड़े पैमाने पर समाज के लिए गंभीर खतरे का स्रोत है, तो न्यायालय मौत की सजा दे सकती है।"

सी.

5. जे. भगवती, जो मृत्युन्यायालय की संवैधानिकता पर बहुमत से भिन्न थे, ने भी एक अदालत द्वारा दोषसिद्धि दर्ज किए जाने के बाद सजा पर 'द्विभाजित सुनवाई' की आवश्यकता पर ध्यान दिया।अल्पमत की राय विशेष रूप से इस प्रकार है:2

डी.

"80. ...ये निस्संदेह विधायिका द्वारा प्रदान किए गए कुछ सुरक्षा उपाय हैं, लेकिन सजा सुनाने के विवेकाधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करने के लिए विधायिका द्वारा प्रदान किए गए किसी भी मानक या सिद्धांतों के अभाव में और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की खंडित पीठ संरचना को देखते हुए, ये सुरक्षा उपाय किसी भी तरह के नहीं हो सकते हैं।

ई.

मृत्युदंड अधिरोपित करने में मनमानेपन और विचित्रता को समाप्त करने में सहायता। पहली आवश्यकता यह है कि एक द्विभाजित कार्यवाही होनी चाहिए जिस पर सजा देने वाले प्राधिकारी को सजा के अधिरोपण से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाता है, जिसे धारा 235, उप-धारा (2) के अधिनियमन द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन दूसरी आवश्यकता यह है कि सजा देने वाले प्राधिकारी को सूचना के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए मानकों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, संतुष्ट नहीं है और दंड संहिता, 1860 की धारा 354, उप-धारा (3) सहपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत मृत्युदंड अधिरोपित किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

2 भगवान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1982) 3 एस. सी. सी. 24 में जे. भगवती की असहमति।

एच.

553

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा जबकि मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

इसलिए प्रक्रिया, 1973 को मनमाना और मनमौजी माना जाना चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करना चाहिए।”

(जोर दिया गया) 6.इसलिए, स्पष्ट रूप से, बचन सिंह के बहुमत ने इस बात पर ध्यान दिया कि दोषियों को एक अलग सुनवाई दी जाएगी, यह आग्रह करने के लिए कि मृत्युदंड का सहारा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।फैसले में विधि आयोग की इस टिप्पणी का उल्लेख किया गया कि अदालतों को "पक्ष या पक्षों को यह जानकारी देनी चाहिए"

बी.

सजा के प्रश्न से संबंधित विभिन्न कारकों से संबंधित साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर।”

बहुमत ने निष्कर्ष निकालाः

सी.

“157-ए. उच्च न्यायालय में पुष्टिकरण कार्यवाही से संबंधित धाराओं के इस फासिकुलस में, विधायिका ने मृत्युदंड के मामलों में विषय के जीवन और स्वतंत्रता के मूल्यवान सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं।ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जहां किसी बड़े मामले में, दोषी व्यक्ति का जीवन दांव पर है, वहां अभियुक्त की बेगुनाही या अपराधबोध और सजा के सवाल से संबंधित पूरी साक्ष्य सामग्री की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।

डी.

(जोर दिया गया) यह पहलू-'मूल्यवान सुरक्षा उपायों' की उपस्थिति-इसलिए, दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा की वैधता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार था।

ई.

7. इससे पहले, सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य 3 मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में इस न्यायालय ने सजा के मुद्दे पर एक अलग सुनवाई के महत्व को रेखांकित किया थाः

एफ.

“3. ...इसके अलावा यह महसूस किया गया कि सजा आपराधिक न्याय के प्रशासन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है-अपराध के निर्णय के रूप में महत्वपूर्ण-और इसे एक सहायक पद पर नहीं भेजा जाना चाहिए जैसे कि यह बहुत अधिक परिणाम का मामला नहीं था।न्यायालय के लिए यह कुछ चिंता का विषय होना चाहिए कि अपराधी को उचित सजा दी जाए और सजा सुनाने पर न्यायालय का गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि एक उचित सजा कई कारकों का मिश्रण है जैसे कि अपराध की प्रकृति।

जी.

एच.

3 सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 190।

अपराध, अपराध की परिस्थितियाँ-अपराध को बढ़ाने या बढ़ाने वाली-, अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, अपराधी की उम्र, रोजगार के रूप में अपराधी का रिकॉर्ड, शिक्षा के संदर्भ में अपराधी की पृष्ठभूमि, घरेलू जीवन, संयम और सामाजिक समायोजन, अपराधी की भावनात्मक और मानसिक स्थिति, अपराधी के पुनर्वास की संभावनाएँ, अपराधी के समुदाय में सामान्य जीवन में लौटने की संभावना, अपराधी के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, यह संभावना कि सजा अपराधी या अन्य लोगों द्वारा अपराध को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकती है और वर्तमान समुदाय को, यदि कोई हो, विशेष प्रकार के अपराध के संबंध में इस तरह के निवारक के लिए आवश्यकता है।ये ऐसे कारक हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा उचित सजा पर निर्णय लेने में ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसलिए, विधायिका ने महसूस किया कि, इस उद्देश्य के लिए, दोषसिद्धि के बाद एक अलग चरण प्रदान किया जाना चाहिए जब न्यायालय सजा से संबंधित इन कारकों के संबंध में आरोपी को सुन सकती है और फिर आरोपी को उचित सजा दे सकती है।इसलिए धारा 235 (2) में नया प्रावधान है।

बी.

सी.

डी.

4. ...इसलिए, हमारा विचार है कि धारा 235 (2) द्वारा अनुध्यात सुनवाई केवल मौखिक प्रस्तुतियों को सुनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अभियोजन पक्ष और अभियुक्त

को सजा के प्रश्न से संबंधित विभिन्न कारकों से संबंधित तथ्यों और सामग्री को न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर देना भी है और यदि उन्हें दोनों पक्षों द्वारा चुनौती दी जाती है, तो इसे स्थापित करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्रस्तुत करना है।बेशक, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सजा के सवाल पर इस सुनवाई का दुरुपयोग न हो और कार्यवाही को अनावश्यक रूप से आगे बढ़ाने के लिए इसे एक साधन में न बदला जाए।उचित और उचित सुनवाई के दावे को कार्यवाही के त्वरित निपटान की आवश्यकता के साथ सुसंगत बनाना होगा।"

ई.

एफ.

8. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में, 4 की दो-न्यायाधीशों की पीठ

जी.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 235 (2) एक औपचारिकता नहीं थी जिसे समाप्त किया जा सकता था, और दोषसिद्धि की पुष्टि होने के बाद विचार की आवश्यकता थीः

"2. ...दण्डादेश की धारा 235 (2) द्वारा अधिरोपित दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का दायित्व।

4 मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य (1981) 3 एस. सी. सी. 11.

एच.

555

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा और साथ ही मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

प्रक्रिया संहिता का निर्वहन अभियुक्त से औपचारिक प्रश्न करके नहीं किया जाता है कि उसे सजा के प्रश्न पर क्या कहना है।न्यायाधीश को अभियुक्त से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक प्रयास करना चाहिए जो अंततः सजा के प्रश्न पर होगी।सभी स्वीकार्य साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष होते हैं लेकिन वह साक्ष्य अक्सर अपराध की उत्पत्ति और अपराधी की प्रेरणा के लिए एक सुराग प्रदान करता है।यह न्यायाधीश का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह न्यायालय की औपचारिकताओं को दरकिनार करे और सजा के प्रश्न को व्यापक, सामाजिक दृष्टिकोण से देखे।धारा 235 (2) के प्रावधानों को लागू करने का अवसर दोषसिद्धि दर्ज होने के बाद ही उत्पन्न होता है।फिर जो बचा है वह सजा का सवाल है जिसमें न केवल आरोपी बल्कि पूरे समाज की हिस्सेदारी है।न्यायाधीश धारा 235 (2) के तहत अभियुक्त के सामने जो प्रश्न रख सकते हैं और अभियुक्त उन प्रश्नों के जो उत्तर देता है, वे साक्ष्य अधिनियम की संकीर्ण

सीमाओं से परे हैं। सजा के सवाल पर न्यायालय, एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में है जिसमें तथ्य और कारक जो काम करते हैं, वे पूरी तरह से अलग क्रम के होते हैं जो दोषसिद्धि के सवाल पर काम करते हैं।सत्र न्यायाधीश ने, तत्काल मामले में, उस दायित्व की भावना और सार को भूलते हुए, उस दायित्व के रूप और पत्र का पालन किया जो धारा 235 (2) लागू करती है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

9. मिथु बनाम पंजाब राज्य 5 के मामले में, इस अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय न्यायालय संहिता, 1908 की धारा 303 के तहत आजीवन कारावास की सजा काटते हुए हत्या करने वाले दोषी को अनिवार्य रूप से मौत की सजा देने पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

एफ.

"7. ... [बचन सिंह में] बहुमत ने निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 307 तीन मुख्य कारणों से मान्य हैःपहला, कि धारा 232 द्वारा प्रदत्त मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा का एक विकल्प है; दूसरा, कि यदि सामान्य नियम को हटा दिया जाता है और मृत्युदंड दिया जाना है तो विशेष कारण बताए जाने चाहिए; और तीसरा, क्योंकि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत सजा के प्रश्न पर सुनवाई का हकदार है।इन तीन कारणों में से अंतिम कारण प्रासंगिक हो जाता है, केवल इन कारणों में से पहले के कारण।दूसरे शब्दों में, यह है

जी.

एच.

5 मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एस. सी. सी. 277।

क्योंकि न्यायालय के पास दो वैकल्पिक सजाओं में से किसी एक को लागू करने का विकल्प है, इस नियम के अधीन कि हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है, कि सजा के सवाल पर आरोपी को सुनना महत्वपूर्ण है।यदि कानून दंड संहिता की धारा 303 के रूप में मृत्युदंड की अनिवार्य सजा प्रदान करता है, तो न तो धारा 235 (2) और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) संभवतः लागू हो सकती है।यदि न्यायालय के पास मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो सजा के सवाल पर आरोपी को सुनना अर्थहीन है और मौत की सजा देने के कारणों को बताना अनावश्यक हो जाता है।

बी.

सी.

(जोर दिया गया)

न्यायालय ने इस प्रकार दोहराया कि आरोपी को सजा सुनाए जाने से पहले सजा के सवाल पर सुनवाई का अधिकार है।भारतीय दंड संहिता, 1908 की धारा 303 ने आरोपी को इस तरह के अवसर से वंचित कर दिया, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।

डी.

10. दो न्यायाधीशों की पीठ यानी अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य 6 द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले में, इस न्यायालय ने पहले के फैसलों को ध्यान में रखते हुए,

और बचन सिंह ने कहा किः“10. ...अभियुक्त की सुनवाई की आवश्यकता का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करना है।यह निष्पक्षता की एक मौलिक आवश्यकता है कि अभियुक्त जो अब तक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अपराध के प्रश्न पर पाया जाना चाहिए।

ई.

दोषी, यह पूछा जाए कि क्या उसके पास सजा के सवाल पर कहने के लिए कुछ है या कोई सबूत है।यह और भी आवश्यक है क्योंकि अदालतों को आम तौर पर सजा सुनाने के मामले में विवेक की एक विस्तृत श्रृंखला से चुनाव करने की आवश्यकता होती है।अधिरोपित किए जाने वाले सही न्यायालयादेश का निर्धारण करने में न्यायालय की सहायता करने के लिए विधायिका ने धारा 235 में उप-धारा (2) पेश की।अतः उक्त प्रावधान एक दोहरे उद्देश्य को संतुष्ट करता है; यह अभियुक्त के अनुसार सजा के प्रश्न पर सुनवाई के अवसर द्वारा प्राकृतिक न्याय के नियम को संतुष्ट करता है और साथ ही न्यायालय को दी जाने वाली सजा का चयन करने में मदद करता है।चूँकि प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त को पहले पेश करने का अवसर देना है।

एफ.

जी.

एच.

6 अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एस. सी. सी. 5.

557

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा और साथ ही मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

न्यायालय सजा के प्रश्न पर असर डालने वाली सभी प्रासंगिक सामग्री में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रावधान हितकर है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है और इसे केवल औपचारिकता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।इसलिए, श्री गर्ग को यह शिकायत करने में न्यायोचित ठहराया गया कि निचली विचारण न्यायालय ने वास्तव में इसे केवल औपचारिकता के रूप में माना, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने 1987 में दोषी के निष्कर्ष को दर्ज किया, उसी दिन जब आरोपी दोषी ठहराए जाने के सदमे को अवशोषित कर सके और उसे दूर कर सके, उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें सजा के सवाल पर कुछ कहना है और उसके तुरंत बाद दोनों अभियुक्तों पर मृत्युदंड लगाने का निर्णय सुनाया गया। जीवन या मृत्यु के मामले में, जैसा कि पहले कहा गया है, पीठासीन अधिकारी को अभियुक्त के वैधानिक अधिकार के लिए चिंता का एक उच्च फरमान दिखाना चाहिए और सजा का चयन करने से पहले इसे केवल औपचारिकता के रूप में नहीं मानना चाहिए।यदि चयन किया जाता है, जैसा कि इस मामले में, अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष अपनी पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, कम करने और विस्तारित करने वाली परिस्थितियों आदि को रखने का एक प्रभावी और वास्तविक अवसर दिए बिना, सजा पर न्यायालय का निर्णय कमजोर होगा।हमें शायद ही यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि कई मामलों में सजा सुनाने के निर्णय के अपराधी और उसके परिवार के सदस्यों पर विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय के मामले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर परिणाम होते हैं; इसलिए, निष्पक्ष खेल का सिद्धांत पहले वाले के मामले में बाद वाले की तुलना में अधिक जोश के साथ लागू होना चाहिए।यदि सुनवाई किए बिना लिया जाता है, तो नागरिक परिणाम वाले प्रशासनिक निर्णय को आम तौर पर प्राकृतिक न्याय के नियम के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया जाता है।इसी तरह संहिता की धारा 235 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं का अक्षरशः पालन किए बिना लिया गया सजा का निर्णय भी इसी तरह के भाग्य का सामना करेगा और इसे एक उचित आदेश द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ सकता है। सजा सुनाने वाली न्यायालय को प्रश्न को गंभीरता से लेना चाहिए और यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि सजा के प्रश्न से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाया जाए।कम करने के साथ-साथ उसके सामने रखी गई गंभीर परिस्थितियों को उचित महत्व देने के बाद ही उसे वाक्य का उच्चारण करना चाहिए।हम सोचते हैं कि एक सामान्य नियम के रूप में निचली अदालतों को दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद मामले को भविष्य के लिए स्थगित कर देना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

तारीख और अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष दोनों से सजा के प्रश्न से संबंधित प्रासंगिक सामग्री को उसके सामने रखने और उसके बाद अपराधी को दी जाने वाली सजा सुनाने का आह्वान करें।"

(जोर दिया गया)

बी.

11. अंगुस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य 7 वाले मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ

उन्होंने भी यही विचार व्यक्त किया था।मलकियत सिंह बनाम पंजाब राज्य 8 में, फिर से, तीन न्यायाधीशों ने इस विचार का समर्थन किया कि दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद अभियुक्त को सजा के सवाल पर एक अलग सुनवाई की जानी चाहिए।न्यायालय ने कहा कि सुनवाई का उद्देश्य कम करने वाली परिस्थितियों को दिखाने के लिए सामग्री रखने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए-और, अभियोजन पक्ष के लिए, बिगड़ती परिस्थितियाँ और "पर्याप्त"

सी.

सजा के सवाल पर आरोपी को समय दिया जाना चाहिए।

12. हाल के तीन न्यायाधीशों के अन्य फैसलों ने भी फैसला सुनाया है कि उसी दिन मृत्युदंड की सजा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, और यह धारा 235 (2) के खिलाफ है।दत्तराय बनाम महाराष्ट्र राज्य 9 में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की किः

डी.

"132. न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत प्रभावी सुनवाई के लिए, यह सुझाव कि न्यायालय का इरादा मौत की सजा देने का है, विशेष रूप से आरोपी को दिया जाना चाहिए, ताकि आरोपी न्यायालय के समक्ष कम करने वाली परिस्थितियों में मौत की सजा के खिलाफ प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके।ऐसा नहीं किया गया है।निचली विचारण न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों को उजागर करने का कोई प्रयास नहीं किया, न ही निचली विचारण न्यायालय ने याची को कम करने वाले कारकों को रिकॉर्ड में रखते हुए हलफनामा दायर करने का कोई अवसर दिया।इस प्रकार याची को प्रभावी सुनवाई से वंचित कर दिया गया है।

ई.

एफ.

133. इस न्यायालय के कथन के विपरीत, अन्य बातों के साथ-साथ, दगडू [दगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1977) 3 एस. सी. सी. 68:1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 421] और सांता सिंह [सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 190:1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 546] याची को धारा 235 (2) के तहत सजा के सवाल पर वास्तविक, प्रभावी और सार्थक सुनवाई नहीं दी गई।

जी.

7 अंगुस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य, (1989) 3 एससीसी 33। 8 मल्कियत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1991) 4 एस. सी. सी. 341। 9 दत्तराया बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2020) 14 एस. सी. सी. 290।

एच.

559

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा जबकि मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

सीआरपीसी। याची पर लगाई गई मौत की सजा को इस आधार पर आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है।”

13. भगवान बनाम मध्य प्रदेश राज्य में भी 10 दोहराया गया है।

सजा के सवाल पर एक अलग सुनवाई की आवश्यकताः

“16. अभियुक्त [संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एस. सी. सी. 498] को एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए दोषसिद्धि और सजा के लिए एक द्विभाजित सुनवाई आवश्यक है। विचारण न्यायालय [राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 12 एस. सी. सी. 460] द्वारा अभियुक्त को मृत्युदंड के प्रश्न पर प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।”

बी.

सी.

14. मनोज और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य 11 यह न्यायालय

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दिशानिर्देशों या एक रूपरेखा के अभाव में, आरोपी को सजा सुनाने पर सुनवाई के अवसर का दायरा, धारा 235 (2) के संबंध में बचन सिंह में निर्धारित कानून की भावना के अनुरूप नहीं थाः

डी.

“221. हालाँकि, बचन सिंह के चार दशकों से अधिक समय के बाद भी अदालत के विचार के लिए एक योजना या प्रणाली तैयार करने की दिशा में बहुत कम या कोई नीति-संचालित परिवर्तन नहीं हुआ है, जो विस्तार से बताता है कि कैसे कम करने वाली परिस्थितियों को एकत्र किया जाना है।सजा सुनाने के समय अभियुक्त के बारे में दुर्लभ जानकारी, परिस्थितियों को कम करने पर विचार करने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है।यह स्पष्ट किया जाता है कि वकील द्वारा इन परिस्थितियों का केवल उल्लेख करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है- बल्कि, उन्हें सुधार की संभावना से जोड़ा जाना चाहिए और सैद्धांतिक न्यायिक तर्क (जैसा कि धारा 235 (2) सी. आर. पी. सी. के तहत आवश्यक है) में सहायता करनी चाहिए।सहायता की इस कमी से विवश होकर, राजेश कुमार [राजेश कुमार बनाम राज्य (2011) 13 एस. सी. सी. 706] मामले में यह न्यायालय (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) यहां तक मान गई है कि यह तथ्य कि राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था कि दोषी सुधार और पुनर्वास से परे था, अपने आप में एक शमनकारी परिस्थिति थी।

ई.

एफ.

जी.

***

10 भगवान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 52 (आपराधिक अपील सं. 101-102/2022)।

11 मनोज और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 677 (आपराधिक

एच.

अपील सं. 248-250/2015)।

239. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संबंधित स्तर पर अभियुक्त को प्रभावी सजा सुनाने में विफल रहे, जो कि कई मामलों में इस अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत एक अधिकार है।वास्तव में, अभियुक्तों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निचली विचारण न्यायालय ने इस विचारण न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करते हुए सजा पर लगभग तुरंत सुनवाई शुरू कर दी थी, जिससे अभियुक्त को कम कठोर सजा के लिए अपना मामला रखने का अवसर नहीं मिला था। सजा सुनाने पर निचली विचारण न्यायालय का आदेश, पारित करने में रिकॉर्ड-'कम उम्र' और 'सामाजिक-आर्थिक कारकों' की याचिका को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में, लेकिन सबसे अच्छा, उसी के एक यांत्रिक विचार को दर्शाता है।अपराध की क्रूरता और "सामूहिक और न्यायिक विवेक के सदमे" से प्रेरित होकर, उच्च न्यायालय ने अपराधी की परिस्थितियों को कम

करने के नगण्य विचार के साथ, केवल अपराध की बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर मृत्युदंड लगाने की पुष्टि की।यह बचन सिंह का सीधा उल्लंघन है।"

बी.

सी.

डी.

15. हालाँकि, यह न्यायालय, तीन न्यायाधीशों के संयोजन में भी, इन निर्णयों को पढ़ती है- यानी, सांता सिंह, मुनियप्पन,

अलाउद्दीन मियां, अंगुस्वामी, मलकियत सिंह आदि एक अलग स्थान पर पहुंचे।

निष्कर्ष-कि एक ही दिन की सजा आवश्यक रूप से न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का उल्लंघन नहीं है। मामलों की यह विपरीत रेखा इस आधार पर आधारित है कि अदालत एक अलग सुनवाई के लिए स्थगित कर सकती है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति अपने आप में सजा को दूषित नहीं करेगी।

ई.

16. दगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य 12 में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ

इस विचारण न्यायालय ने सांता सिंह की इस व्याख्या को खारिज कर दिया कि सजा के सवाल पर एक दोषी आरोपी को सुनने में विचारण न्यायालय की विफलता के कारण निचली विचारण न्यायालय में रिमांड की आवश्यकता होगी।इसके बजाय, इसने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह की चूक को उच्च न्यायालय द्वारा सजा के प्रश्न पर अभियुक्त की सुनवाई करके दूर किया जा सकता है, बशर्ते सुनवाई "वास्तविक और प्रभावी" हो जिसमें अभियुक्त को अनुमति दी गई हो।

एफ.

"न्यायालय के समक्ष उन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करना जो वह सजा के प्रश्न पर प्रस्तुत करना चाहता है।"न्यायालय ने आगे कहा कि:"79. न्यायालय, उचित मामलों में, अभियुक्त को पर्याप्त समय देने के लिए मामले को स्थगित करना पड़ सकता है।

जी.

12 डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1977) 3 एस. सी. सी. 68।

एच.

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा जबकि मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

आवश्यक डेटा का उत्पादन करें और वाक्य के प्रश्न पर अपनी दलीलें दें।यह, शायद, अनिवार्य रूप से होना चाहिए जहां उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार दोषसिद्धि दर्ज की जाती है।"

इसके बाद तरलोक में तीन न्यायाधीशों की एक और पीठ बनी।

सिंह बनाम पंजाब राज्य 13.

बी.

17. एक अन्य मामला, जहाँ एक समान निष्कर्ष पर पहुँचा गया था, लेकिन

अलग-अलग तर्कों पर रामदेव चौहान बनाम असम राज्य 14,

जहाँ एक समीक्षा याचिका में, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2 द्वारा मृत्युदंड को बरकरार रखाः1 बहुमत।इस मामले में, धारा 235 (2) के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 (2) के परंतुक पर विचार किया गया था।न्यायालय ने कहा कि पिछले फैसलों में संहिता की धारा 309 के दूसरे परंतुक 15 पर ध्यान नहीं दिया गया था।न्यायालय ने कहा कि धारा 309 के तहत परंतुक का परंतुक सजा पर एक अलग कार्यवाही करने के लिए सुनवाई को स्थगित करना नहीं था, हालांकि उन मामलों में जहां मौत की सजा सजा के विकल्पों में से एक थी, न्यायालय को सजा पर एक अलग कार्यवाही के लिए सुनवाई को स्थगित करने का विवेकाधिकार थाः

सी.

डी.

"28. मृत्युन्यायालय या आजीवन कारावास से न्यायालयनीय मामले में, अदालत के लिए कोई कठिनाई नहीं है जहां प्रस्तावित सजा आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा है, लेकिन यदि वह मृत्युन्यायालय देने का प्रस्ताव करती है, तो उसे न्याय के हित में मामले को स्थगित करने का विवेकाधिकार है जैसा कि सुखदेव सिंह मामले [(1992) 3 एस. सी. सी. 700:1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 705]मुझे यह अभिपरंतुक करने में कोई संदेह नहीं है कि धारा 309 की उप-धारा (2) के तीसरे परंतुक के प्रतिबंध के बावजूद, न्यायालय, उपयुक्त मामलों में, अभियुक्त व्यक्तियों को उन पर प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण दिखाने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से यदि ऐसी प्रस्तावित सजा मौत की सजा है।"

ई.

एफ.

इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्युन्यायालय की संभावना का सामना कर रहा अभियुक्त स्थगन का हकदार नहीं था, लेकिन अदालत को इसे देने से कोई भी चीज़ नहीं रोकती थी।

जी.

18. तब से कई निर्णय डगडू पर निर्भर हैं, और निष्कर्ष निकाला है कि न्यायालय की कार्रवाई उसी दिन एक आरोपी को सजा सुनाती है जिस दिन

13 तरलोक सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1977) 3 एससीसी 218। 14 रामदेव चौहान बनाम असम राज्य, (2001) 5 एस. सी. सी. 714।

एच.

15 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा सम्मिलित।

दोषसिद्धि अपने आप में सजा को दूषित नहीं करेगी।ये मामले (तीन में -

न्यायाधीश संयोजन) में शामिल हैं:बी. ए. उमेश बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय 16; वसंत संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य 17; मुकेश बनाम एन. सी. टी. राज्य 18; मोहम्मद।मन्नान बनाम बिहार राज्य 19; और हाल ही में, शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 20.

19. इस न्यायालय ने एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य 21 (तीन न्यायाधीशों की पीठ) में,

बी.

सजा सुनाने के सवाल पर व्यापक रूप से पूर्ववर्ती बातों पर विचार किया गया और कानून की स्थिति का निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गया:

“40. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई मामलों में दोनों के बीच चयन के सवाल से जूझना पड़ा है।इस न्यायालय के दृष्टिकोण को ऊपर चर्चा किए गए सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण के आलोक में तर्कसंगत और समझने की आवश्यकता है।उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित उक्ति निकलती है:

सी.

40.1.कि धारा 235 (2) के तहत होने वाली "सुनवाई" शब्द के लिए अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को उनके विकल्प पर एक सार्थक अवसर दिए जाने की आवश्यकता है।

डी.

40.2.सी. आर. पी. सी. की धारा 235 (2) के तहत सार्थक सुनवाई, सामान्य रूप से, उसी के लिए दिए गए समय या दिनों की संख्या पर सशर्त नहीं है।इसे गुणात्मक रूप से मापा जाना चाहिए न कि मात्रात्मक रूप से।

ई.

40.3.निचली विचारण न्यायालय को सर्वोत्तम प्रयासों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के अधिदेश का पालन करने की आवश्यकता है।

40.4.गैर-अनुपालन को अपीलीय स्तर पर भी सार्थक अवसर प्रदान करके ठीक किया जा सकता है।

40.5.यदि विचारण विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो अपीलीय विचारण न्यायालय को विभिन्न विचारों को संतुलित करने और या तो अपने समक्ष एक अवसर प्रदान करने या उचित मामले में, नए सिरे से विचार के लिए विचारण विचारण न्यायालय को वापस भेजने की आवश्यकता होती है।40.6.तथापि, अभियुक्त को अपीलीय न्यायालयों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है, अन्य बातों के साथ-साथ कम करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के आधार पर अभिवचन करके, इसके आगे के विचार के लिए।

एफ.

जी.

16 बी. ए. उमेश बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय, (2017) 4 एस. सी. सी. 124।

17 वसंत संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 6 एस. सी. सी. 631। 18 मुकेश बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, (2017) 6 एस. सी. सी. 1.

19 मोहम्मद.मन्नान बनाम बिहार राज्य, (2019) 16 एससीसी 584।

20 शत्रुघ्न बबन मेशराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 1 एस. सी. सी. 596। 21 एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 7 एस. सी. सी. 1.

एच.

563

इन आरईःफ्रेमिंग गाइड लाइन्स संबंधित संभावित हस्तक्षेप स्थितियों पर विचार किया जाएगा जबकि मृत्यु केंद्रों को प्रभावित किया जाएगा [एस. रवींद्र भट, जे.] ए.

ए.

40.7.कुछ कठोर वास्तविकताओं से अवगत होना जैसे कि लंबी देरी या कानूनी सहायता के माध्यम से जेल अपील, आदि, जिसमें अपीलीय न्यायालय, उपयुक्त मामलों में, स्वयं न्यायालय द्वारा आदेशित प्रासंगिक तथ्यों पर स्वतंत्र पूछताछ का सहारा ले सकता है।

40.8.यदि अभियुक्त द्वारा अपीलीय न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई आधार नहीं लाया जाता है, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत सहारा लेने के लिए बाध्य नहीं है।

बी.

इस तर्क पर कई निर्णयों में और अधिक भरोसा किया गया था।

हाल ही में इस न्यायालय द्वारा मनोज सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 22 के मामले में।

सी.

20. इन सभी निर्णयों के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र यह स्पष्ट स्वीकृति है कि अभियुक्त को सजा के प्रश्न के लिए प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने के अवसर के साथ सार्थक, वास्तविक और प्रभावी सुनवाई की जानी चाहिए।जो बात स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, वह है इस बारे में विचार और चिंतन कि इसके लिए कितने समय की आवश्यकता हो सकती है।जिन मामलों में यह महसूस किया गया था कि वास्तविक और प्रभावी सुनवाई (उसी दिन सजा सुनाने के कारण) नहीं की गई होगी, इस न्यायालय को संतुष्ट किया गया था कि अभियुक्त को सामग्री प्रस्तुत करने का मौका देकर और इस तरह धारा 235 (2) के अधिदेश को पूरा करके, अपीलीय (या समीक्षा चरण) में दोष को दूर किया गया था।

डी.

21. ऐसा प्रतीत होता है कि निचली विचारण न्यायालय के स्तर पर 'पर्याप्त समय' क्या है, इस सवाल को बचन सिंह में व्यक्त अभिनिर्णय के आलोक में संबोधित नहीं किया गया है।यह, अदालत की सुविचारित राय में, विचार और स्पष्टता की आवश्यकता है।इस अदालत का फैसला

ई.

मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य 23 में एक उदाहरण है, जहाँ

‘धारा 235 (2) सी. आर. पी. सी. के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय पर विचार किया गया; यह निष्कर्ष निकाला गया कि निचली विचारण न्यायालय ने "ईमानदारी से" किया था।

एफ.

सजा के बाद से धारा 235 (2) के संदर्भ में अपने कर्तव्य का पालन किया

गंभीर और कम करने वाली दोनों परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, दोषसिद्धि के 3 दिन बाद उन्हें सम्मानित किया गया था।

22. मनोज में दोषसिद्धि के सवाल पर पक्षों को सुनने के बाद

जी.

& ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य, इस न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया था

सजा सुनाने पर प्रस्तुतियों के लिए, निर्देश के साथ 24 से रिपोर्ट प्राप्त करना

22 मनोज सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2020) 4 एससीसी 451।

23 मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 768 (Crl.A. सं.

910 – 911/2022).

24 दिनांकित 29.09.2021 आदेश द्वारा।इस न्यायालय द्वारा डायरी सं. 5964/2019 में पारित दिनांकित 05.08.2021 और 08.09.2021 आदेशों का भी संदर्भ दिया गया था।

एच.

परिवीक्षा अधिकारी, जेल अधिकारी, एक प्रशिक्षित मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, आदि, कम करने वाली परिस्थितियों को प्रस्तुत करने में अभियुक्त की सहायता करने के लिए।इस संबंध में एक समान ढांचे की कमी को देखते हुए,

वर्तमान सुओ मोटू डब्ल्यू. पी. (सीआरएल।) नं. 1/2022 शुरू किया गया था जिसमें

इस न्यायालय ने अपने आदेशों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के तौर-तरीकों पर काम करने की आवश्यकता, कम करने वाली परिस्थितियों को उजागर करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का चरण और इस संबंध में संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता का संकेत दिया है।इस तरह के ढांचे की अनुपस्थिति से संबंधित आशंकाओं को भी अंतिम निर्णय में दर्ज किया गया था

बी.

मनोज और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य, जिसका महत्व

एक अलग सुनवाई और अभियुक्त की पृष्ठभूमि के विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।यह सुझाव दिया गया था कि सामाजिक परिवेश, आयु, शैक्षिक स्तर, क्या दोषी को जीवन में पहले आघात का सामना करना पड़ा था, पारिवारिक परिस्थितियाँ, एक दोषी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और दोषसिद्धि के बाद का आचरण, इस बात पर विचार करने के समय प्रासंगिक कारक थे कि क्या आरोपी पर मृत्युदंड लगाया जाना चाहिए।23. उपरोक्त के आलोक में, इस विषय पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों के दो समूहों द्वारा विचारों का स्पष्ट टकराव मौजूद है।जैसा कि पहले देखा गया है, बचन सिंह मामले में इस न्यायालय ने 48 वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर भरोसा करते हुए, दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा को बरकरार रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में, एक अलग सुनवाई द्वारा एक दोषी को दी गई निष्पक्षता को ध्यान में रखा था।यह भी एक तथ्य है कि उन सभी

मामलों में जहां मृत्युदंड का अधिरोपण सजा का एक विकल्प है, गंभीर परिस्थितियां हमेशा रिकॉर्ड में होंगी, और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का हिस्सा होंगी, जिससे दोषसिद्धि होती है, जबकि अभियुक्त से शायद ही कम करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर रखने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने का चरण दोषसिद्धि के बाद है।यह दोषी को एक निराशाजनक नुकसान में डालता है, जो उसके खिलाफ तराजू को भारी झुकाता है।इस न्यायालय की राय है कि सजा के मुद्दे पर आरोपी/दोषी को औपचारिक सुनवाई के बजाय वास्तविक और सार्थक अवसर देने के सवाल पर एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए मामले में स्पष्टता होना आवश्यक है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

24. नतीजतन, इस न्यायालय का विचार है कि इस उद्देश्य के लिए पांच माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक है।इस संबंध में उचित आदेश के लिए इस मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

एच.

अंकित ज्ञान और अनुराग भास्कर

मामला बड़ी पीठ को भेजा गया।

(सहायकः प्रियांशु अग्रवाल, एलसीआरए)